National Journal of Multidisciplinary Research and Development
www.newresearchjournal.com
ISSN: 2455-9040
Received: 21-12-2024, Accepted: 20-01-2025, Published: 04-02-2025
Volume 10, Issue 1, 2025, Page No. 3-4

मजदुरों की सामाजिक–विधिक प्रस्थिति एवं श्रमिक विधियों के क्रियान्वयन में बाधक तत्वः भारत के परिपेक्ष्य में एक विश्लेशणात्मक अध्ययन

डॉ. खुशबू पंवार
शोधार्थी, विधि विभाग, विधि संकाय, जय नारायण व्यास विश्वविधालय, जोधपुर, राज्यथान, भारत

सारांश
बंधुआ मजदूर के लिये जो भी सरकार द्वारा प्रावधान सुरक्षोपाय किये जाने के बावजूद भी विधि व्यवस्था, कानून लागू करने वाली एजेन्सिया, सामाजिक परिवेश, आर्थिक मजदूरी, अशिक्षा इत्यादि के कारण बंधुआ मजदूरों की समस्या का पूरी तरह से निवारण अभी तक नहीं हो पाया है। बंधुआ मजदूरों को मुक्त किये जाने के पश्चात् उनके पुर्नवास की उचित व्यवस्था नहीं होने तथा उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने में विफल रहने पर बंधुआ मजदूर वापस अपनी पूरानी बंधक प्रथा में चले जाते है और इसे अपना भाग्य समझ लेते है। बंधुआ मजदूरों की सामाजिक स्थिति में बाधक तत्व कुछ इस प्रकार है जैसेः– जागरूकता का अभाव, सुविधाओं का अभाव, सरकार से सहायता की कमी, साहुकारों पर कमजौर वर्गो के सामाजिक और आर्थिक निर्भरता, प्रशासनिक और राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी, बंधुआ मजदूरों के लिए बने ससांधनों का अनुचित उपयोग, प्रशासनिक निश्क्रियता के कारण पुर्नवास के कार्यक्रमों मे बांधा बंधुआ मजदूरों की बेहतरी के लिये काम कर रहे गैर–सरकारी संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों का बोझ अधिक होना। बंधुआ मजदूरों की रोकथाम के लिये बने दण्डात्मक प्रावधानों के गैर प्रवर्तन, और बंधुआ मजदूरों की सामाजिक स्थिति में सुधार किये बिना कानूनी व सरकारी प्रयासों का लाभ उन तक नहीं पहुँच पायेगा। इसलिये उक्त वर्णित बाधक तत्वों के निराकरण का प्रयास किया जाये और इन पर विशेश योजना बनाकर समयबद्ध तरीके से कार्यवाही की जाये ताकि इन बंधुआ मजदूरों की सामाजिक प्रथा को जड़ से उखाड़ कर फेंका जा सकें।

मूल शब्दः मजदूर, श्रमिक, बंधुआ मजदूर, श्रमिक कानून

भारतीय संविधान तथा बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976 के अंतर्गत पर्याप्त प्रावधान व सुरक्षोपाय किये जाने के बावजूद भी विधिव्यवस्था, कानून लागू करने वाली एजेन्सियां, सामाजिक परिवेश, आर्थिक मजबूरी, अशिक्षा इत्यादि के कारण बंधुआ मजदूरों की समस्या का पूरी तरह से निराकरण अभीतक नहीं हो पाया है। बंधुआ मजदूरी अथवा जबरन श्रम पर पूरी तरह से अंकुश लगाने में कई तरह की कानूनी, व्यावहारिक व सामाजिक अड़चने सामने आ जाने के कारण इस बुराई को पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सका है। सतही तौर पर देखने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में बंधुआ मजदूरी का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया है तथा कानून इस बुराई के विरूद्ध सशक्त हथियार के रूप में कामयाब रहा है लेकिन धरातल पर जाकर परिस्थितियों और मजदूरों की दशाओं का बारीकी से अध्ययन करने पर यह समझ में आता है कि बंधुआ मजदूरी प्रथा की जड़े अभी भी जमी हुई है और जहाँ कहीं अवसर मिलता है यह बुराई वापस पनप जाती है। बंधुआ मजदूरों को मुक्त किये जाने के पश्चात् उनके पुनर्वास की उचित व्यवस्था नहीं होने तथा उनकों समाज की मुख्य धारा में शामिल करने में विफल रहने पर बंधुआ मजदूर वापस अपनी पुरानी बंधक प्रथा में चले जाते हैं और इसे ही अपना भाग्य समझ लेते हैं। वैसे तो बंधुआ मजदूरी की पूर्ण समाप्ति नहीं होने के कई कारण है लेकिन मुख्यतः निम्न कारणों व बाधाओं के कारण बंधुआ मजदूरी प्रथा की सम्पूर्ण रोकथाम में अवरोध उत्पन्न होता है और सुधारों की गति कम हो जाती है–

जागरूकता का अभाव– भारत एक विशाल क्षेत्रफल और जनसंख्या वाला देश है जहाँ पर ग्रामीण व आदिवासी जनमानस की बहुतायत है। देश के सदूर इलाकों में व जनजातिय क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरी प्रथा का प्रचलन अधिक है और इसे समाप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है क्योंकि ऐसे ग्रामीण जनजातिय इलाकों में अशिक्षा के कारण जागरूकता का अभाव है जिसके कारण वहाँ के निवासियों को अपने मूलभुत अधिकारों की जानकारी नहीं है और ऐसे ही इलाकों में प्रशासन व पुलिस की पहुँच सीमित है। जागरूकता की कमी होने के कारण बंधुआ मजदूरी प्रथा को समाप्त किये जाने में अड़चन पैदा हो रही है।

साहूकारों पर कमजोर वर्गों के सामाजिक और आर्थिक निर्भरता– भारत में ग्रामीण व दूरदराज के इलाकों में कभी भी बैंकिंग व्यवस्था की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण आम व्यक्ति व श्रमिक वर्ग पूर्णतया साहूकारों पर निर्भर है। समाज एक कमजोर तबके का शोषण इन साहूकारों व सामंतों के द्वारा किया जाता है और इनको ऐसी शर्तों पर कर्ज उपलब्ध कराया जाता है जिसके परिणामस्वरूप ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बंधुआ मजदूरी करने के लिए विवश हो जाते है। कमजोर वर्ग की साहूकारी व्यवस्था पर निर्भरता भी बंधुआ मजदूरी का एक प्रमुख कारण है। जब तक समाज के निचले तबके के लोग शिक्षित होकर बैंकिंग व्यवस्था व सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में सक्षम नहीं होंगे तब तक बंधुआ मजदूरी प्रथा को समाप्त करने में मुश्किले आएगी।

सरकार से सहायता की कमी– विभिन्न राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार अपनी नीतियों व कार्यक्रमों के माध्यम से समाज की गरीब तबके के उत्थान हेतु कई योजनाएँ बनाती हैं और उन्हें लागू करती है ताकि समाज का निम्नस्तरीय वर्ग बंधुआ मजदूरी के लिए विवश न हो। इन योजनाओं का पूरा लाभ समाज के निम्न तबके को नहीं मिल पाता और इन मामलों में फर्जीवाड़ा व भ्रष्टाचार होना अक्सर देखा गया है। सरकारी सहायता अपर्याप्त है क्योंकि भारत की जनसंख्या में गरीबी का प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार थोडी सी सहायता के बलबूते पर बंधुआ मजदूरी प्रथा को रोकना संभव प्रतीत नहीं होता है।

सुविधाओं का अभाव– सुविधाओं के अभाव में भी बंधुआ मजदूरी प्रथा चालू रहती है क्योंकि मूलभुत सुविधाओं के अभाव में संचार तंत्र पूर्णतया विकसित नहीं होता है परिणामस्वरूप बंधुआ मजदूरी

प्रथा का पता चलने में भी देरी हो जाती है और बंधुआ मजदूरों के सहीं हालात का पता प्रशासन को नहीं चल पाता है। सुविधाओं के अभाव में बंधुआ मजदूरी चोरी छुपे चलती रहती है और सरकारी मशीनरी के पहुचने तक मामले में लिपापोती कर दी जाती है। इस प्रकार सुविधाओं का अभाव भी बंधुआ मजदूरी पनपने का एक कारण है।

प्रशासनिक और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी को गंभीरता से मामले को उठाने के लिए– भारतीय राजनैतिक शासन व्यवस्था वोट बैंक की राजनीति पर आधारित है और राजनैतिक दल अक्सर उन्हीं मुदों पर ध्यान देते हैं जहाँ पर बड़ा वोट बैंक मौजूद हो। चूंकि बंधुआ मजदूर अपने आप में कोई एक बड़ा वोट बैंक और शक्तिशाली वर्ग नहीं है इसीलिए राजनैतिक दल व प्रशासनिक अधिकारी इस वर्ग, उसकी समस्याओं, मुक्ति व पुनर्वास के मामले में बिलकुल गंभीर नहीं है और न ही ऐसे मामलों में रूचि लेकर कोई कार्य करते हैं। राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी तथा प्रशासनिक अकर्मण्यता के कारण बंधुआ मजदूरी प्रथा आज भी मौजूद है यदि ऐसे मामलों में प्रशासन सजग रहकर तीव्रता से कठोर कानूनी कार्यवाही करें तो यह प्रथा जड़मूल से समाप्त होने में कोई संदेह नहीं रहेगा।

बंधुआ मजदूरों के लिए बने संसाधनों का अनुचित उपयोग– बंधुआ मजदूरों के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों का सहीं ढंग से व सहीं जगह पर उपयोग नहीं होना भी बंधुआ मजदुरों के पुनर्वास में बाधक है। सरकारी संसाधनों का उपयोग राजनैतिक तरीके से दूसरें वर्गों के लाभ के लिए किये जाने के परिणामस्वरूप बंधुआ मजदूरों को उनका लाभ नहीं मिलता है जिसके कारण पुनर्वास कार्यक्रम प्रभावित होते हैं और मुक्त किये गये बंधुआ मजदूरों को निशुल्क भोजन, आवास व अन्य सुविधाएँ नहीं मिल पाती है। बंधुआ मजदूरों के फर्जी आंकड़े बताकर सरकारी मद से धन प्राप्त कर लिया जाता है लेकिन उसका उपयोग बंधुआ मजदूरों के लिए नहीं किया जाता है और संसाधनों का जमकर दुरूपयोग होता है।

प्रशासनिक निष्क्रियता के कारण पुनर्वास कार्यक्रमों की बाधा– प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी, बंधुआ मजदूरी की मौजूदगी की सुचना मिलने पर भी जब तक मामला सार्वजनिक न हो जाए, कार्यवाहीं नहीं करते हैं और न ही मामले का संज्ञान लेते हैं। दूरदराज के इलाकों में तैनात अधिकतर प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी वहाँ के स्थानीय धनाढयों, साहूकारों व सामंतों के अहसान से दबे होने के कारण बंधुआ मजदूरी प्रथा का संज्ञान नहीं लेते हैं और इसे नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप बंधुआ मजदूरी प्रथा चलती रहती है। जब अखबार और मीडिया द्वारा ऐसे मामलों को प्रकाश में लाये जाने पर प्रशासनिक अमला हरकत में आता है और दिखावें के तौर पर खानापूर्ति की कार्यवाहीं कर दी जाती है। इस प्रकार प्रशासनिक निष्क्रियता के कारण बंधुआ मजदूरी समाप्त नहीं हो पाई है।

इन बंधुआ मजदूरों की बेहतरी के लिए काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों का बोझ अधिक है– भारत में कार्य कर रहें गैरसरकारी स्वयंसेवी संगठनों की संख्या तो काफी है लेकिन इनमें ज्यादातर संगठन कागजी है और कार्यक्षेत्र में इनकी कोई मौजूदगी नजर नहीं आती। वास्तव में बंधुआ मजदूरों के लिए गंभीरता पूर्वक व सक्रियता से कार्य करने वाले गैरसरकारी स्वयंसेवी संगठनों की संख्या बहुत कम है और इनका कार्यक्षेत्र व कार्यभार इतना ज्यादा है कि ये अपने प्रयासों के बावजूद भी सभी जगह नहीं पहुच पाते। स्वयंसेवी संगठनों के पास प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का अभाव है और ऐसे संगठनों को सरकारी एजेंसियों द्वारा समुचित सहयोंग नहीं किया जाता है जिसके कारण यह स्वयंसेवी संगठन अपने काम को ठीक तरह से अंजाम नहीं दे पाते। इस प्रकार स्वयंसेवी संगठनों के पास पर्याप्त संसाधनों का भी अभाव है जिसके कारण बंधुआ मजदूरी प्रथा समाप्त होने में देरी हो रही है।

बंधुआ मजदूर की रोकथाम के लिए बने दंडात्मक प्रावधानों के गैर प्रवर्तन– सन् 1976 के अधिनियम तथा अन्य श्रम कानूनों के अंतर्गत बंधुआ मजदूरी, जबरन श्रम व दासप्रथा के लिए दोषी पाये गये लोगों को कारावास व अन्य प्रकार के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान किया गया है लेकिन इन दण्डात्मक प्रावधानों का उचित प्रवर्तन नहीं होने के कारण अधिकतर दोषी व्यक्तियों को सजा नहीं हो पाती है। ऐसे दोषी व्यक्ति कानूनी तकनीकी कमजोरी का फायदा उठाकर तथा अनुसंधान एजेंसी को प्रभावित करके बरी हो जाते हैं। बंधुआ मजदूरी के मामलों में अभी तक दोषी व्यक्तियों को दण्डित किये जाने के मामले कम पाए गए हैं। इस बारे में कानूनी प्रक्रिया व दण्ड की मात्रा को और कठोर बनाये जाने की आवश्यकता है ताकि दोषी व्यक्तियों को उचित दण्ड मिल सके और समाज में बंधुआ मजदूरी के विरूद्ध एक संदेश पहुंचे।

बंधुआ मजदूरो की सामाजिक स्थिति में सुधार हुये बिना कानूनी व सरकारी प्रयासो का पूरा लाभ उन तक नही पॅहुच पायेगा इसलिये ये आवश्यकता है कि उक्त वर्णित बाधक तत्वों के निराकरण का प्रयास किया जाये और इन पर विशेष योजना बनाकर समयबद्व तरीके से कार्यवाही की जाये ताकि इस बंधुआ मजदूरी की सामाजिक प्रथा को जड़ से उखाड़ कर फैका जा सके।

संदर्भ सुची

1. बंधुआ मजदूरी–सिद्धार्थ कारा प्रकाशक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग फरीदकोट हाउस
2. भारत में बंधुआ मजदूर– महाश्वेता देवी निर्मल घोष
3. भारत का संविधान– डॉ. जयनारायण पाण्डेय
4. बंधित श्रम पद्वति (उत्सादन) अधिनियम व नियम–1976